रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 1995/आषाढ़ 28, 1917
No. 414] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 1995/ASADHA 28, 1917

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1995

का.आ. 641(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं. का.आ. 3595/ईसी ए/2/62, तारीख 24 नवम्बर, 1962 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 1995 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं :—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी, जो भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक से नीचे का न हो, या कोई ऐसा अधिकारी, जो किसी राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक के रैंक से नीचे का न हो और जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किया जाए;

(ख) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है,

(ग) "सीमेंट" से अभिप्रेत है भारत में विनिर्मित सीमेंट की कोई किस्म और इसमें बात्या भट्टी धातुमल सीमेंट, पोर्टलैंड पाल्सालाना सीमेंट, क्षिप्र कठोरन पोर्टलैंड सीमेंट, श्वेत पोर्टलैंड सीमेंट, जलविरोधी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, अल्प ताप पोर्टलैंड सीमेंट, उच्च शक्ति साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, रेल-स्लीपरों के विनिर्माण के लिए

प्रयुक्त सीमेंट, चिनाई सीमेंट, तेल कूप सीमेंट, अति सल्फेटिक सीमेंट या सीमेंट की कोई अन्य किस्म जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करे;

(घ) "विहित मानक" से अभिप्रेत है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित भारतीय मानक विनिर्देश,

(ङ) "व्यौहारी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, जो, प्रत्यक्ष रूप में या अन्यथा सीमेंट का, चाहे नकद रूप में या आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य उचित प्रतिफल के लिए, क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है—

(च) सीमेंट के संबंध में "विनिर्माता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, जो सीमेंट उत्पादित करता है, बनाता है, या विनिर्मित करता है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिंदू अविभक्त कुटुंब भी है, जो यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, फर्म या हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा सीमेंट उत्पादित किए जाने, या विनिर्मित किए जाने, बनाए जाने का दावा करता है,

(छ) "मानक चिह्न" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 के 63) में इसे दिया गया अर्थ अभिप्रेत है,

(ज) "राज्य सरकार" से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है ।

3. ऐसे सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय और भंडारण के के संबंध में प्रतिषेध जो विहित मानक का न हो—(1) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति की मार्फत, ऐसे सीमेंट का, जो विहित मानकों के अनुरूप नहीं है और जिन पर ब्यूरो का मानक चिह्न न हो, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, आवेदन किए जाने पर, किसी व्यक्ति को, मानक चिह्न रहित सीमेंट के विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण के लिए, एक सौ बीस दिन से अनधिक के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाए कि विनियमित मानक चिह्न का अनुदान भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन प्राधिकारियों के पास लंबित है ।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, आवेदन किए जाने पर, मानक चिह्न से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि विनिर्मित और प्रेषित सीमेंट निर्यात के प्रयोजनार्थ है और विदेशी मानकों के अनुसार है या क्रेता के समाधानानुसार है और भारतीय मानकों न की तत्संबंधी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता ।

(2) ऐसा सीमेंट जो विहित मानक के अनुरूप नहीं है, तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा और उसकी समुचित प्राधिकारी की रिपोर्ट की जाएगी ।

4. विनिर्माताओं का प्रमाणन :—(1) सीमेंट के विनिर्माता, ब्यूरो को, मानक चिह्न का प्रयोग करने के संबंध में अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करेगे ।

(2) ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति का दिया जाना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

व्यक्ति, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति की मार्फत, सीमेंट का विनिर्माण करने के लिए प्रस्थापना करता है तो वह ब्यूरो को उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व आवेदन करेगा ।

(4) एक या अधिक सीमेंट के विनिर्माण के लिए किसी अनुज्ञप्ति के व्यपगत हो जाने या रद्द किए जाने या या ब्यूरो द्वारा आवेदन के बंद किए जाने संबंधी सूचना प्राधिकारी को तुरंत भेजी जाएगी ।

5. भंडारण, विक्रय और वितरण का प्रतिषेध :—कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसके निमित कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की मार्फत, ऐसे सीमेंट का, जिन पर ब्यूरो का मानक चिह्न नहीं है और जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने इस प्रयोजन के लिए पैरा 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राप्त की है, विनिर्मित नहीं किया गया है, विक्रय के लिए संग्रह, विक्रय या वितरण नहीं करेगा ।

6. जानकारी मांगने की शक्ति :—समुचित प्राधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से,—

(क) सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति से ऐसी जानकारी, जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से उसे ऐसे सीमेंट के नमूने देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(ख) ऐसे सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई या उसकी या उसके कब्जे में की या नियंत्रणाधीन किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों या अन्य सीमेंट का निरीक्षण कर सकेगा या करा सकेगा ।

(ग) पैरा 8 के अधीन सम्यकतः प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे परिसरों में प्रविष्ट करा सकेगा और उसकी तलाशी करवा सकेगा जिनकी बाबत यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या उक्त सीमेंट विहित मानक की नहीं है, उस सीमेंट का अभिग्रहण करा सकेगा, और

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की तलाश और अभिग्रहण से संबंधित धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस पैरा के अधीन तलाशी और अधिग्रहण को लागू होंगे ।

7. नमूनों का परीक्षण—मानक चिह्न वाले और समुचित प्राधिकारी द्वारा लिए गए किन्हीं सीमेंट के नमूनों का यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वे विहित मानक के हैं, ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ब्यूरो द्वारा अवधारित रीति से परीक्षण किया जाएगा ।

8. शक्तियों का प्रत्यायोजन—समुचित प्राधिकारी, लिखित में किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी को उसकी ओर से इस आदेश के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु ऐसा अधिकारी को जो राजपत्रित रैंक का नहीं है, समुचित प्राधिकारी द्वारा पैरा 6 के खंड ग के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

9. विनिर्माताओं और व्यौहारियों को निदेश देने की शक्ति : समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यौहारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा जो इस आदेश के उपबंधों से संगत हों और इस आदेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

10. निदेशों का अनुपालन—किसी सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे पैरा 9 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा ।

11. जानकारी देने की बाध्यता—कोई भी विनिर्माता या व्यौहारी, इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से, पैरा 6 के अधीन उससे मांगी गई कोई जानकारी देने से न तो इंकार करेगा, न ही ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई या उसके कब्जे में की या नियंत्रण में की किन्हीं बहियों या दस्तावेजों या किसी सीमेंट को छुपाएगा, नष्ट करेगा, विकृत या विरूपित करेगा ।

12. उल्लंघन के लिए शास्ति—वह व्यक्ति, जो इस आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उसके अधीन किए गए किसी निदेश या अध्यपेक्षा को कार्यान्वित करने में असफल होगा, दंडनीय होगा, और वह संपत्ति, जिसकी बाबत आदेश का उल्लंन किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के अधीन समपहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगी ।

13. अपील—(1) समुचित प्राधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई भी निर्माता या व्यौहारी, ऐसा विनिश्चय संसूचित करने वाले आदेश की प्रति की उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील उस दशा में ग्रहण कर सकेगी जब उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी नियत समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपपैरा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[फा. सं. 1(4)/94-सीमेंट]

प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 19th July, 1995

S.O. 641(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Steel and Heavy Industries (Department of Heavy Industries) No. S.O. 3595|ECA|2|62 dated the 24th November, 1962, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Cement (Quality Control) Order, 1995.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires—

(a) "Appropriate Authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appoined by the Central Government or the State Governments by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;

(b) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;

(c) "cement" means any variety of cement manufactured in India and includes blast furnace slag cement, portland pozzolana cement, rapid hardening portland cement, white portland cement, hydrophobic portland cement, ordinary portland cement, low heat portland cement, high strength ordinary portland cement, cement used for the manufacture of railway sleepers, masonry cement, oil well cement, super sulphated cement or any other variety of cement which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify for the purposes of this Order;

(d) "prescribed standard" means the Indian Standard Specification of cement prescribed by the Bureau of Indian Standards;

(e) "dealer" means a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which carries on directly or otherwise the business of buying, selling, supplying or distributing cement, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration of other valuable consideration;

(f) "manufacturer" in relation to cement, means a person who or a firm or Hindu Undivided Family which, produces, makes or manufacturers cement and includes a persn who, or a firm or Hindu Undivided Family which, claims such cement to be produced, made or manufactured by any such person or firm or Hindu Undivided Family, as the case may be;

(g) "Sandard Mark" has the meaning assigned to it in the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986);

(h) "State Gvernment" in relation to a Union territory means the Administrator of that Union territory appointed by the President under Article 239 of the Constitution.

3. Prohibition to manufacture, sale and store of cement which is not of the prescribed standard—(1) No person shall himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute cement which does not conform to the prescribed standard and which do not bear the standard Mark :

Provided that the Central Government may, on an application made, permit any person to manufacture or store for sale, or sell or distribute cement without Standard Mark for a period of not exceeding one hundred and twenty days, if it is satisfied that the grant of regular Standard Mark is pending with the authorities under the Bureau of Indian Standards Act, 1986:

Provided fuprther that the Central Government may, on an application made, grant exemption from Standard Mark, if it is satisfied that the cement manufactured and despatched is for export purpose and is as per the Overseas Standards or as per Buyer's Specifications and do not coincide with the corresponding requirements of the Indian Standards.

(2) The cement which do not conform to the prescribed standard shall be destroyed immediately with a report to the Appropriate Authority.

4. Certification of Manufacturers.—(1) the manufacturer of cement shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark and shall not produce the cement till he obtains the Standard Mark.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and the rules and regulations made thereunder.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture cement, he shall make an application to the Bureau before the commencement of production.

(4) Information relating to lapse or cancellation of any licence or closure of application by the Bureau for manufacture of one or more of the cement shall be sent to the Appropriate Authority immediately.

5. Prohibition of storage, sale and distribution.—No person by himself or through any person acting on his behalf shall store for sale, sell or distribute any cement which does not bear the Standard Mark and which has not been manufactured by a person who has obtained a licence for the purpose as specified under paragraph 4.

6. Power to call for information.—The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:—

(a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement for the implementation of this Order or require any such person to furnish to it samples of such cement;

(b) inspect or cause to be inspected any books or other documents or cement kept by or belonging to or in possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of such cement;

(c) cause an officer duly authorised under paragraph 8 to enter and search any premises and seize cement in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been made or the said cement is not of the prescribed standard; and

(d) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, applied to searches and seizures under this paragraph.

7. Testing of Samples.——Samples of cement bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the prescribed standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

8. Delegaion of powers.—The Appropriae Authority may by general or special order in writing authorise any officer to exercise on its behalf all or any of its functions under this Order :

Provided that no officer who is not of a Gazetted rank, shall be authorized by the Appropriate Authority to exercise the powers of search and seizure under Clause (c) of paragraph 6.

9. Power to issue direction to manufacturer and dealer.—The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturer and dealer, consistent with the provisions of this Order, as may be necessary for carrying out the provisions of this Order.

10. Compliance of direction.—Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any cement, to whom any direction is issued under paragraph 9 shall comply with such directions.

11. Obligation to furnish information.—No manufacturer or dealer shall, with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information called from him under paragraph 6 conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any cement kept by, or in the possession or conrol of such person.

12. Penalty for contravention.—Any person who contravenes any of the provisions of this Order or fails to carry out any direction or requisition made thereunder shall be punishable, and the property in respect of which the order has been contravened shall be liable to forefeiture under section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

13. Appeal.—(1) Any manufacturer or dealer aggrieved by any decision of the Approviate Authority may prefer an appeal in writing to the Central Government within thirty days from the date of receipt by him of the copy of the Order communicating such decision.

Provided that the Central Goveernment may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not prefering the appeal within the period of thirty days.

(2) On receipt of the appeal under sub-paragraph (1), the Central Government may, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order as it may deem fit.

[F. No. 1(4)|94-Cement.]

PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1995